भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *42

दिनांक 06.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के तहत पानी की गुणवत्ता

***42. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः**
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत आपूर्ति किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच और सुधार उपायों के संबंध में राज्यों को नई कार्यपद्धति जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार के निर्धारित मानकों के तहत पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए श्री वी. के. माधवन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष रहे हैं; और
(घ) देश में जेजेएम के तहत घरों में गुणवत्तापूर्ण पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी आर पाटिल)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 06/02/2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *42 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में सदर्भित विवरण

(क) से (ग) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 30 दिसंबर, 2024 को "ग्रामीण परिवारों को पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए संक्षिप्त पुस्तिका" जारी की है, जिसे अपर सचिव और मिशन निदेशक (एनजेजेएम) की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें वाटर एड के श्री वी. के. माधवन समिति के सदस्यों में से एक थे। इस हैंडबुक को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में साझा किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक कॉपी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है: https://jalshakti-ddws.gov.in/sites/default/files/handbook-for-monitoring-wq-of-piped-drinking-water.pdf

(घ) जल राज्य का विषय होने के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पाइप जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के प्रकाशन बीआईएस: 10500 को बेंचमार्क के रूप में अपनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता अनुवीक्षण एवं निगरानी (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए जेजेएम के अंतर्गत निधियों के अपने वार्षिक आबंटन के 2% तक का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों, उपकरणों, रसायनों, कांच के बने पदार्थों, उपभोज्य वस्तुओं की खरीद, कुशल जनशक्ति को किराए पर लेना, क्षेत्र परीक्षण किटों (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी करना शामिल है। जागरूकता सृजन, जल गुणवत्ता संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि भी विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, निगरानी और निगरानी के लिए सक्षम बनाने हेतु, एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है।

राज्य पीएचईडी 2,162 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं (1,580 एनएबीएल मान्यता प्राप्त/मान्यता प्राप्त) का नेटवर्क संचालित करते हैं। मिशन ने सभी प्रयोगशालाओं की एनएबीएल मान्यता/मान्यता पर ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि इससे परीक्षण डेटा, कार्य करने वाले कर्मियों

और प्रयोगशालाओं द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्ट में विश्वास बढ़ेगा। डब्ल्यूक्यू परीक्षण प्रयोगशालाओं और एफटीके के माध्यम से किए गए वर्ष-वार परीक्षण का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या (लाखों में)		कुल योग
	प्रयोगशालाओं में	एफटीके का उपयोग करना	
2019-20	39.00	8.49	50.66
2020-21	49.01	38.18	87.19
2021-22	41.72	25.34	67.06
2022-23	62.20	96.24	158.44
2023-24	75.00	108.54	183.54
2024-25 (02.02.2025 की स्थिति के अनुसार)	66.56	85.65	152.21
कुल	**333.49**	**362.44**	**699.10**

***